न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम– 4, सीकर
उनवान– इंटेग्रा फिनसर्व प्रा0 लिमिटेड बनाम रोशन कुमार वगैरह
इजराय मुकदमा नं0– सीआई एस नम्बर 549/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28.02.2025	अधिवक्ता प्रार्थी/डिक्रीदार उपस्थित। अप्रार्थी/मद्यून अनुपस्थित। इस आदेश द्वारा निष्पादन प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, न्यायालय के विनम्र मत में निष्पादन प्रार्थना पत्र के संलग्न, मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड दिनांकित 15.05.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य तथाकथित ऋण के क्रम में अनुबंध निष्पादित हुआ, जिसके अन्तर्गत प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य विवाद होने पर जरिये माध्यस्थम विवाद का निस्तारण किये जाने के क्रम में प्रावधित था। माध्यमस्थ क्लॉज अनुसार प्रार्थी को एकल मध्यस्थ नियुक्त करने के क्रम में अधिकारिता प्राप्त थी। माध्यमस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 यथा संशोधित 2015 (जिसे आगे अधिनयम, 1996 से उल्लेखित किया जायेगा) के उपरांत प्रार्थी द्वारा एकल रूप से मध्यस्थ को नियुक्त किया गया, जिस क्रम में अप्रार्थी की लिखित सहमति हो, ऐसा स्पष्ट नही होता है। अधिनियम, 1996 की धारा 12 (5) में मध्यस्थ की नियुक्ति के क्रम में निम्नानुसार प्रावधित है– (5) "Notwithstanding any prior agreement to the contrary, any person whose relationship, with the parties or counsel or the subject-matter of the dispute, falls under any of the categories specified in the Seventh Schedule shall be ineligible to be appointed as an arbitrator: Provided that parties may, subsequent to disputes having arisen between them, waive the applicability of this sub-section by an express agreement in writing." माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न न्यायिक दृष्टान्त न्यायालय के संज्ञान में हैः– 1. TRF Ltd. Vs Energo Engineering Projects Ltd.(2017) 8 SCC 377	

2. Perkins Eastman Architects DPC & Anr. Vs HSSC (India) Ltd., AIR 2020 SC 59
3. Ms. Sital Das Jewellers & Anr. Vs. Asian Hotels (North) Ltd. 2021 SCC Online Delhi 3914
4. Proddatur Cable TV Digi Services Vs Siti Cable Network Limited, 2020 SCC Online Del. 350
5. Kotak Mahindra Bank Ltd. Vs Narendra Kumar Prajapat in SLP (Civil) Diary No. 47322/2023

उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण से संबंधित पारित अवार्ड का अवलोकन करने से, यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत अवार्ड एकल मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया, जिसकी नियुक्ति प्रार्थी द्वारा की गई थी। अप्रार्थी की मध्यस्थ की नियुक्ति के क्रम में लिखित सहमति हो, ऐसा पारित अवार्ड के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को एकल मध्यस्थ नियुक्ति का अधिकार नहीं था। मध्यस्थ की नियुक्ति, चूंकि अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के विरूद्ध थी, ऐसे में नियुक्त मध्यस्थ द्वारा 14(1)(ए) के अंतर्गत विधिक रूप से अवार्ड मध्यस्थ द्वारा स्वयं के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया जाना स्पष्ट होता है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य (void ab initio or non est) है। उक्तांकित न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रारम्भ से शून्य डिक्री का निष्पादित नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, जब पारित प्रश्नगत अवार्ड प्रारम्भ से ही शून्य (void ab initio or non est) है, उस स्थिति में पारित अवार्ड, निष्पादन योग्य नहीं रह जाता है।

परिणामतः प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद व माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय रूप से नियुक्त पंच द्वारा पारित पंचाट, पंच अधिकरण के रूप में नियुक्ति की अनर्हता के संबंध में पारित विधि पर विचारोपरान्त प्रार्थी का हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। न्यायहित में और स्थापित विधि के आलोक में यह प्रार्थी का स्वविवेक व स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपने मध्यस्थम योग्य जीवंत विवाद यदि कोई हो, का विधिनुसार प्रक्रिया द्वारा पुनः पंच नियुक्त करवा निस्तारण हेतु संदर्भित करवाये। प्रार्थी का भविष्य में यदि इस विकल्प का चयन करता है, तो वह सद्भावनापूर्वक की गई विधिक कार्यवाहियों के संबंध में

मियाद में विधिनुसार रियायत पाने का अधिकारी होगा। प्रकरण का व्यय पक्षकारान स्वयं वहन करेंगे। अवार्ड की फोटो प्रति रिकार्ड पर रखते हुए प्रश्नगत अवार्ड की प्रमाणित प्रति डिक्रीदार को आगामी कार्यवाही हेतु लौटायी जावे।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है, एतद्द्वारा पत्रावली सांख्यिकीय प्रयोजन से फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार मय अभिलेख यदि कोई हो, तो दाखिल दफ्तर हो।

(विरेन्द्र कुमार मीणा)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम संख्या–4, सीकर।